

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPOR. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of)



मुख्यालय / HEADQUARTERS पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002 PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELH-02 दूरमाष/Phone : 011-23234092, 23234093 ई-मेल/E-mail : rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49/12/02/2010-रा. भा.

दिनांक:04.09.2024

सेवा में

- बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली।
- सभी अपर आयुक्त / क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम।
- सभी निदेशक/ प्रभारी संयुक्त निदेशक/ प्रभारी उप निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
- निदेशक(चिकित्सा), निदेशालय(चिकित्सा), दिल्ली/नोण्डा, क.रा.बी. निगम।
- सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
- सभी संकायाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय/ दंत्य महाविद्यालय/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।

विषय : राजभाषा पखवाड़ा आयोजन/समापन समारोह के लिए राशि वृद्धि की संस्वीकृति के संबंध में। -महोदया/महोदय,

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार निगम की सभी इकाइयों में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन 14 सितंबर, 2024 से किया जाएगा। राजभाषा पखवाड़ा एवं समापन समारोह के आयोजन पर व्यय की जाने वाली राशि में सक्षम प्राधिकारी ने निम्नानुसार वृद्धि की अनुमति प्रदान किए हैं। निगम इकाइयों को निम्नलिखित (कार्मिकों की संस्वीकृत संख्या के आधार पर) उल्लिखित राशि की संस्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	इकाई (कार्यालय/अस्पताल/महाविद्यालय/संस्थान)	संस्वीकृत राशि
1	क.रा.बी. निगम मुख्यालय के लिए	₹ 40,000/-
2	'ए' ग्रेड के कार्यालयों के लिए (151 या अधिक संस्वीकृत कार्मिक)	₹ 25,000/-
	'बी' ग्रेड के कार्यालयों के लिए (76-150 संस्वीकृत कार्मिक)	₹ 20,000/-
4	'सी' ग्रेड के कार्यालयों के लिए (1-75 संस्वीकृत कार्मिक)	₹ 17,000/-

 यह आदेश सभी निगम अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों, नि(चि)दिल्ली, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क्षेत्रीय कार्यालयों व उप क्षेत्रीय कार्यालयों पर लागू होंगे।

- वित्त एवं लेखा शाखा, मुख्यालय द्वारा समसंख्यक फाइल पर उपर्युक्त राशि की वृद्धि के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई है।
- राजभाषा पखवाड़ा और समापन समारोह के आयोजन की राशि में वृद्धि के ये आदेश वर्ष 2024 से लागू होंगे।
- उपर्युक्त राशि में राजभाषा पखवाड़ा संबंधी 04 प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली पुरस्कार राशि शामिल नहीं है।

समारोह पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च होने पर किसी भी स्थिति में अतिरिक्त राशि संस्वीकृत नहीं की जाएगी। अतः व्यय, संस्वीकृत राशि के भीतर ही सीमित रखा जाए। शेष राशि(यदि कोई हो) से पुस्तकालय हेतु हिन्दी की उपयोगी तथा रोचक पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं।

राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह के आयोजन पश्चात इसकी रिपोर्ट 30 अक्तूबर, 2024 तक निगम, मुख्यालय को <u>अवश्य</u> भेज दी जाए। संबंधित रिपोर्ट ई-मेल द्वारा rajbhasha-hq@esic.nic.in तथा shyam.kumar@esic.nic.in पर भेजी जा सकती है।

कृपया इसकी पावती भेजी जाए।

भवदीय

Signed by Shyam Kumar Date: 04-09-2024 17:35:38 (श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपिः

- निगम की सभी इकाइयों के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक(वित्त)।
- सभी संयुक्त निदेशक(राजभाषा)/उप निदेशक(राजभाषा)/ सहायक निदेशक(राजभाषा)/ प्रभारी राजभाषा अधिकारी/ सभी निगम इकाइयों की राजभाषा शाखा।
- गार्ड फाइल में अनुरक्षण हेतु निगम की सभी राजभाषा शाखाओं / निगम की सभी वित्त एवं लेख शाखाओं को सूचनार्थ।
- लेखा-3/रोकड शाखा, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली।
- वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

04,9.2024 संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORA क.स.वी.नि. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of Ir



मुख्यालय / HEADQUARTERS पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002 PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-02 द्रभाष/Phone : 011-23234092, 23234093 ई-सेल/E-mail : rajbhasha-hq@esic.nic.in

Date : 04.09.2024

No. : A-49/12/02/2010-O.L.

То

- Insurance Commissioner, National Training Academy, E.S.I. Corporation, New Delhi.
- All Addl. Commissioners/Regional Directors, Regional Offices, Employees' State Insurance Corporation.
- All Directors/Joint Directors(I/c)/ Dy. Directors(I/c), Sub Regional Offices, Employees' State Insurance Corporation.
- Director (Med.), Directorate (Medical), Delhi/Noida, E.S.I. Corporation.
- All Medical Superintendents, E.S.I. Corporation / Model Hospitals.
- All Deans/Head of the Office, E.S.I.C. Medical Colleges/Dental Colleges/PGIMSR

Subject : Regarding the sanction of increased amount to observe Official Language Fortnight/ Concluding Ceremony.

Madam/Sir,

As per the instructions of Deptt. Of Official Language, Govt. Of India, the Official Language Fortnight will be observed on September 14, 2024 in all units of ESIC. The competent authority has approved to increase in the amount to be spent to observe the Official Language Fortnight and concluding ceremony. The increased sanction amount for all units of the corporation (as per sanctioned staff strength) is as under :-

SI.No.	Units (Offices/Hospitals/Colleges/Institutes)	Sanctioned Amt.
1	For ESIC Headquarters'	₹ 40,000/-
2	For 'A' Grade offices (sanctioned staff strength 151 or	₹ 25,000/-
3	above) [.] For 'B' Grade offices (sanctioned staff strength 76-150)	₹ 20,000/-
4	For 'C' Grade offices (sanctioned staff strength 1-75)	₹ 17,000/-

 This order will be applicable to all Corporation Hospitals, Medical Colleges, D(M)D, NTA, Regional Offices and Sub-Regional Offices.

- Finance & Accounts Branch has given concurrence on Even No. File.
- The above orders will be applicable from 2024.

The cash prize money for four (04) Hindi Competetions is excluded from the said amount competitions during the fortnight, and is not included in his amount.

No additional amount will be sanctioned in case expenditure exceeds the limit. The balance amount (if any) can be used to purchase useful Hindi Books for Hindi Library.

The report of Observance of the Official Language Fortnight may be sent to Headquarters' Office by 30 October, 2024. The report may be sent to <u>rajbhasha-hq@esic.nic.in</u> or shyam.kumar@esic.nic.in through E-mail.

Kindly acknowledge for the same.

Yours sincerely

Signed by Shyam Kumar Date: 04-09-2024 17:30:46

(Shyam Kumar)

Joint Director (Official Language)

Copy to:

- The Joint/Deputy/Assistant Director (Finance) of all units of ESIC.
- The Joint Director (OL)/Dy. Director (OL)/Asstt. Director (OL)/Incharge official language of all units of ESIC.
- Copy to maintain in Guard File of All Official Language Sections / all Finance & Accounts Section of all units of ESIC.
- Accounts-3/ Cash Section, Headquarters., E.S.I. Corporation, New Delhi.
- Website Content Manager with request to upload the letter on website of the corporation.

Jusion 04,9,2024.

Joint Director (Official Language)